प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्कीस' [10/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 4850]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4850
माननीया विधायक - श्रीमती रेखा यादव
सदन में उत्तर देने का दिनांक 10-3-17

परिशिष्ट 1/3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2010/आश्विन 2, 1932

No. 244] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2010/ASVINA 2, 1932

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2010

सं. सी.ई.आई./1/59/सीईए/ई. आई.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "सुगम" से किसी उपकरण का अथवा विशेष प्रयास किए बिना शारीरिक उपयोग पहुंच के भीतर अभिप्रेत है;

(ग) "एम्पीयर" से अभिप्रेत विद्युत धारा की एक इकाई है और यह ऐसा कॉन्स्टेंट करेंट है जो निर्वात में एक मीटर की समानान्तर दूरी पर रखे नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले अनन्त लम्बाई के दो सुचालकों से गुजरने पर इन दोनों सुचालकों के बीच प्रति मीटर लम्बाई पर 2×10^{-7} न्यूटन का बल पैदा करेगा;

(घ) "उपकरण" से विद्युत उपकरण अभिप्रेत है और इसमें सभी मशीनें, फिटिंग्स, सहायक उपकरण तथा उपकरण सम्मिलित हैं, जिनमें सुचालकों का उपयोग किया जाता है;

(ङ) "अनावृत" से अभिप्रेत है जो विद्युत-रोधी पदार्थ से आवृत न हो;

(च) "केबल" से अभिप्रेत है, ऐसा एकल सुचालक (ठोस या तन्तुरूपी) अथवा दो या दो से अधिक ऐसे सुचालक जिन्हें अलग-अलग विद्युतरोधी पदार्थ से आवृत किया गया हो और साथ-साथ बिछाया गया हो। ऐसे सुचालक या सुचालकों को यांत्रिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा सकता है, या नहीं भी कराया जा सकता है;

(छ) "परिपथ (सर्किट)" से अभिप्रेत है, विद्युत प्रवाह के लिए सुचालक अथवा सुचालकों का एक व्यवस्थित क्रम जो एक विद्युत व्यवस्था या इस व्यवस्था का एक अंग निर्मित करते हैं;

(ज) "परिपथ भंजक (सर्किट ब्रेकर)" से ऐसा उपकरण अभिप्रेत है, जो सभी परिस्थितियों में परिपथ बना सकता है या ब्रेक कर सकता है, और जब तक इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, यह इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में यह स्वत: ही विद्युत प्रवाह रोक देता है ;

2/3

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई, को सम्मिलित माना जाएगा ।

62. **एक ही अवलम्ब पर भिन्न-भिन्न वोल्ट वाले सुचालक** - ऐसे मामले में जहां एक ही प्रणाली के अलग-अलग वोल्ट वाले सुचालक एक ही अवलम्ब पर लगाए गए हैं, इनका स्वामी, कम वोल्ट वाली प्रणाली के काम करने के लिए आवश्यक वोल्ट से अधिक आवेशित होने से उत्पन्न खतरों से लाइनमैन और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, प्रणाली का यह अधिक आवेशन उच्च प्रणाली से लीकेज या संपर्क होने और निर्माण के पैटर्न के कारण हो सकता है । दो प्रणालियों के सुचालकों के बीच बनाए रखने योग्य न्यूनतम दूरी, एक-दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइनों के संबंध में विनियम 69 में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी ।

63. **इमारतों, अवसंरचनाओं, फ्लड बैंक (तटबंध) और सड़कों के उठान का निर्माण या इनमें फेरबदल** - (1) ओवरहेड लाइन चाहे वह इंसुलेटिंग पदार्थ से आवरित हों या न हों, खड़ी करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति नई इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक बनाना चाहता है या किसी रोड की सतह को उठाना चाहता है अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्य, चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई कराना चाहता है या किसी इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक अथवा रोड में या इनके ऊपर स्थाई अथवा अस्थाई विस्तार या फेरबदल करना चाहता, वह ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना, आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देगा और इसके साथ प्रस्तावित इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक (तटबंध), सड़क अथवा विस्तार या फेरबदल और निर्माण के दौरान अपेक्षित ढांचे को दर्शाने वाला पैमाने सहित नक्शा उपलब्ध कराएगा ।

(2) ऐसी सूचना मिलने पर आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी नीचे दी गई जांच करेगा -

(i) क्या संदर्भित लाइन इन विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार बिछाई गई थी;

(ii) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहारिक है;

(iii) क्या यह मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) की आवश्यकता पूरी करता है;

(iv) क्या यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसा है, तो इस व्यक्ति को ओवरहेड लाइन के फेरबदल पर होने वाले संभावित व्यय की लागत के प्राक्कलन के साथ एक नोटिस बिना किसी देरी के भेजें और नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अनुमानित लागत की राशि आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास जमा करने को कहें ।

(3) यदि यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है, तो विवाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा ।

(4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का आकलन करेगा, अर्थात् -

3/3

(i) सामग्री की अवमूल्यित लागत क्रेडिट करने के बाद फेरबदल में उपयोग की गई सामग्री की लागत;

(ii) फेरबदल करने में लगाए गए श्रमिकों की मजदूरी;

(iii) उप-खंड (ii) में उल्लिखित मजदूरी की 15 प्रतिशत सीमा तक पर्यवेक्षण प्रभार; और इस प्रकार के फेरबदल के संबंध में, अधिनियम की धारा 67 के उपबंधों के अनुपालन में आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा वहन किया गया प्रभार ।

(5) आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास इस अनुमानित लागत को जमा कराने के बाद अवसंरचना में किसी विस्तार अथवा फेरबदल की अनुमति दी जाएगी ।

(6) ऐसी इमारत, अवसंरचना, तटबंध, सड़क के ऊपर कोई कार्य और विस्तार अथवा फेरबदल तब तक आरंभ नहीं होगा या जारी रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर यह प्रमाणित न कर दे कि उक्त निर्माण के दौरान अथवा पश्चात् विनियम 58, 60 और 61 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होगा ।

परन्तु इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर यदि इस बात से संतुष्ट है कि ओवरहेड लाइन को इस प्रकार सुरक्षित किया गया है कि इससे लोगों अथवा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यह प्रमाणित कर सकता है कि ओवरहेड लाइन में फेरबदल से पहले अथवा अस्थाई विस्तार अथवा फेरबदल के मामले में, ओवरहेड लाइन में फेरबदल के बिना कार्य आरंभ किया जा सकता है ।

(7) आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी, जमाराशि प्राप्त होने पर, इसके दो माह के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा दी गई अवधि के अंदर ओवरहेड लाइन में इस प्रकार फेरबदल करेगा कि निर्माण के दौरान या पश्चात् विनियम 58, 60 और 61 के उपबंधों का उल्लंघन न हो ।

64. ओवरहेड लाइन के नजदीक सामग्री की ढुलाई और भंडारण - (1) खुले ओवरहेड सुचालकों अथवा लाइनों के नीचे से या आसपास से किसी भी प्रकार की छड़ें, पाइप या ऐसी ही सामग्री ले जाने से यदि विनियम 60 और 61 के उपबंधों का उल्लंघन होता है तो ढुलाई का यह कार्य केवल ओवरहेड सुचालक अथवा लाइनों के स्वामी द्वारा उसकी तरफ से अभिहित व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ही किया जाएगा।

(2) किसी भी प्रकार की छड़, पाइप अथवा ऐसी ही अन्य सामग्री विद्युत प्रवाहित खुले सुचालकों अथवा लाइनों के इतनी नजदीक नहीं लाई जाएंगी कि उनसे फ्लैस या स्पार्क होने की संभावना बने ।

(3) खुले सुचालकों अथवा लाइनों के नीचे या आसपास कोई सामग्री अथवा खुदाई की गई मिट्टी या कृषि उत्पाद जमा अथवा भंडारित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई वृक्ष लगाया जाएगा । ऐसा कार्य विनियम 60 और 61 का उल्लंघन माना जाएगा ।

(4) विद्युत आपूर्ति लाइन के नीचे कोई भी ज्वलनशील सामग्री जमा नहीं की जाएगी ।

(5) भूमिगत केबलों के ऊपर आग जलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

1-3-17
(श्याम लाल)
अनुभाग अधिकारी,
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल